

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 510 सन 2019

अनवान :-

1. हाकमशाम पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. त्रिलोकाराम पुत्र सावंताराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. रेशमी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी ढण्डेला हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. विमला पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि मुरलीधर जाति जाट निवासी ढण्डेला हाल निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. धापी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि जयनारायण जाति जाट साकिन ढण्डेला हाल निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पैसेकार राज


निर्णय दिनांक :- 09/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की खाता संख्या 20/19 के प०न० 255/ /380(7) के किला न० 13/0.0130 ,18/0.253 ,19/0.2150 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,254/381(19) के किला न० 16/2 की 0.0130 ,प०न० 255/381(20) के किला न० 2/1 की 0.2280 ,3/1 की 0.2280 ,6/1 की 0.2280 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530,11/0.2530 ,12 ता 14 प्रत्येक 0.2530 ,15/1 की 0.2280 ,19 ता 20/0.506 मु०न० 66/5 की 0.0750 ,कुल 4.2620हैक् रोही मौजा 1 बी बारानी तथा खाता संख्या 73/70 के खसरा न० 354/1 की 1.7130हैक् रोही मौजा ढण्डेला की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सावंताराम पुत्र खुमाना के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की खाता संख्या 20/19 के प0न0 255//380(7) के किला न0 13/0.0130, 18/0.253, 19/0.2150, 22/0.2530, 23/0.2530, 254/381(19) के किला न0 16/2 की 0.0130, प0न0 255/381(20) के किला न0 2/1 की 0.2280, 3/1 की 0.2280, 6/1 की 0.2280, 7/0.2530, 8/0.2530, 9/0.2530, 11/0.2530, 12 ता 14 प्रत्येक 0.2530, 15/1 की 0.2280, 19 ता 20/0.506 मु0न0 86/5 की 0.0750, कुल 4.2620 है व रोही मौजा 1 बी बारानी तथा खाता संख्या 73/70 के खसरा न0 354/1 की 1.7130 है व रोही मौजा ढण्डेला की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

20
अध्यक्ष (राजस्व)
नो डर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 20/19 के प0न0 255//380(7) के किला न0 13/0.0130 ,18/0.253 ,19/0.2150 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,254/381(19) के किला न0 16/2 की 0.0130 ,प0न0 255/381(20) के किला न0 2/1 की 0.2280 ,3/1 की 0.2280 ,6/1 की 0.2280 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530,11/0.2530 ,12 ता 14 प्रत्येक 0.2530 ,15/1 की 0.2280 ,19 ता 20/0.506 मु0न0 66/5 की 0.0750 ,कुल 4.2620हैक् रोही मोजा 1 बी बारानी तथा खाता संख्या 73/70 के खसरा न0 354/1 की 1.7130हैक् रोही मौजा ढण्डेला की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत पर्चा जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 रोही मोजा ढण्डेला बारानी एवं चक 1 बारानी के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा सावंताराम पुत्र खुमाना के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सावंताराम पुत्र खुमाना के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 ता 5 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3, ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि खाता संख्या 20/19 की कुल 4.2640हैक् रोही मोजा चक 1 बी बारानी एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 73/70 के खसरा न0 354/1 की कुल 1.7130हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प रु 5000/-तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. हाकमराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. त्रिलोकाराम पुत्र सावंताराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. रेशमी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी ढण्डेला हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. विमला पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि मुरलीधर जाति जाट निवासी ढण्डेला हाल निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. धापी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नि जयनारायण जाति जाट साकिन ढण्डेला हाल निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 510 सन 2019 निर्णय दिनांक- 09/12/2019

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि खाता संख्या 20/19 की कुल 4.2640 हैक् रोही मोजा चक 1 बी बारासी एवं रोही मोजा ढण्डेला बारासी के खाता संख्या 73/70 के खसरा न0 354/1 की कुल 1.7130 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प 6000/- रु का तर्कमौलान शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)